Total page
aw ato 40

(92)

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र. क्र. /2018 विविध

विविध– 6488/2018/जबलपुर/भू.रा.

आवेदिका : कु. आकला बानो पुत्री स्व. श्री अब्दुल शकूर
उम्र 84 वर्ष निवासी–654, गढ़ा बाजार,
जबलपुर म.प्र.

बनाम

अनावेदकगण :1. मोहम्मद इरशाद उम्र लगभग 56 वर्ष

2. मोहम्मद फारूख उर्फ मो. जुल्फीकार
उम्र 46 वर्ष

3. मोहम्मद इम्तियाज उम्र लगभग 54 वर्ष
तीनों आत्मज स्व. श्री शेख मोहम्मद

4. मो. सरफराज उम्र 32 वर्ष
आत्मज स्व. मोहम्मद इकबाल
सभी निवासी–गढ़ा बाजार, जबलपुर म.प्र. .

माननीय न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग अपील प्रकरण क्र. 1135 अपील/2016–17 पक्षकार मोहम्मद इरशाद 3 अन्य विरूद्ध कु. आकला बानो में पारित आदेश दिनॉक 06/11/2018 की जांच कर निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 8 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

आवेदिका माननीय न्यायालय डॉ. श्रीनिवास शर्मा अतिरिक्त कमिश्नर संभाग जबलपुर राजस्व अपील क्र. 1135 वर्ष 2016–17 पक्षकार मोहम्मद इरशाद एवं 3 अन्य में बनाम कु. आकला बानो में पारित आदेश दिनॉक 06/11/2018 से व्यथित होकर एवं क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों, विधिक प्रश्नों एवं आधारों पर निम्नलिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करती है:–

तथ्य

1. यह कि, मौजा गढ़ा, नंबर बंदोबस्त 599 पटवारी हल्का नं. 28/33 खसरा नं. 55, 67, 93/1, 93/1, 93/3, 213, 214, 216, 217, 275, 276, 277, 278 रकवा 5.876, 1.602, 0.356, 0.234, 0.182, 0.182, 0.178, 0.162, 0.053, 0. 129, 0.073 एवं 0.042 हेक्टेयर में शामील शरीक में

NOTARY JETHAR INDIA

श्री KW-के-उपस्थित द्वारा आज दिन 18/12/18 को प्रारंभिक तर्क हेतु प्रस्तुत। दिनांक 19/12/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

12-12-18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक विविध—जबलपुर/भू.रा./6488/2018

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
28/12/18	विविध आवेदन दिनॉक 18—12—18 की प्रचननशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1135/16—17 अपील में पारित आदेश दिनांक 6—11—18 पर से यह विविध आवेदन म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 में दी गई व्यवस्था अनुसार अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 6—11—18 को निरस्त करने की मांग की गई है। 2/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 इस प्रकार है:— '' मण्डल को ऐसे समस्त मामलों के संबंध में जो उसकी अपीली या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अध्यधीन हैं , समस्त अधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहां तक कि ऐसे प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हैं और वह उनसे विविरणियॉ मांग सकेगा। '' म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 में वर्ष 2018 में किये गये सॅशोधन (प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 7 में इस प्रकार सॅशोधित व्यवस्था है :— • मण्डल की अधिकारिता — मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निवर्हन करेगा जो इस संहिता व्दारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई है। * वर्ष 2018 में संहिता की धारा 50 में किये गये सॅशोधन अनुसार एंव	

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि- आदि के हस्ताक्षर-
	धारा 50 (2) (ख) में दी गई नवीन व्यवस्था अनुसार किसी आवेदक के आवेदन पर मण्डल को अपर आयुक्त व्दारा दित्तीय अपील में पारित आदेश के विरूद्व निगरानी अथवा अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार सुनवाई के अधिकार नहीं हैं । सॅशोधित संहिता की धारा 8 इस प्रकार है – धारा–8 :– मण्डल की अधीक्षण संबंधी शक्तियॉ – मण्डल को ऐसे समस्त मामलों के सम्बन्ध में, जो उसकी अपीली या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अध्ययधीन हैं, समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहां तक कि ऐसे प्राधिकारी ऐसे मामलों के संसबंध में कार्यवाही करते हैं और वह उनसे विवरणियां मांग सकेगा। उक्त कारणों से अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1135/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–11–18 के विरूद्व संहिता की धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध आवेदन पर विचार संभव नहीं है। विविध आवेदन सुनवाई योग्य न होने से अमान्य किया जाता है। सदस्य	